सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्याः— 13/2016 दायर दिनाँक 16.12.2016

आवेदकगण		अनावेदकगण
1. मोहनराम पुत्र पूर्णाराम, उम्र—35साल, 2. कुनणी पत्नी पूर्णाराम, उम्र—60साल, 3. लिखमाराम पुत्र हीराराम, समस्त,जाति—जाट, निवासी—सिंगरावट कलाँ, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. भींवाराम पुत्र रामरख, उम्र—75साल, 2. परसाराम पुत्र रामलपाल, उम्र—60साल, 3. रूघाराम पुत्र रामलपाल, उम्र—58साल, 4. नानूराम पुत्र रामलपाल, उम्र—56साल, 5. कुम्भाराम पुत्र रामलपाल, उम्र—52साल, समस्त,जाति—मेघवाल, निवासी—सिंगरावट कलाँ, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 6. पप्पूराम पुत्र मन्नाराम, 7. धर्माराम पुत्र मन्नाराम, 8. मुकेश पुत्र मन्नाराम, 9. धन्नीदेवी पुत्री मन्नाराम, 10. सम्पूदेवी पुत्री मन्नाराम, 11. सोहनीदेवी पत्नी मन्नाराम, समस्त,जाति—मेघवाल, निवासी—सिंगरावट कलाँ, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 12. प्रबन्धक एस.बी.आई., शाखा—डीडवाना, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 13. प्रबन्धक, एस.बी.आई.(पूर्व, एस. बी.बी.एण्ड जे.), शाखा—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

प्रार्थना—पत्र

अन्तर्गत धारा 251 ए(1) R.T. Act.

उपस्थितः—

1. मजमें आम में पत्रावली पेश हुई।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या–13/2016
दायर दिनाँक 16.12.2016 निर्णय दिनाँक 09.06.2018
मोहनराम, वगैरा बनाम् भींवाराम, वगैरा।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 09.06.2018

प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि, आवेदकगण उपखण्ड डीडवाना में ग्राम सिंगरावट कलाँ में स्थित खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 186 रकबा 12 बीघा 08 बिस्वा है। उक्त खसरा की भूमि में पहुँचने हेतु कोई रास्ता नहीं है जिस हेतु नये रास्ते के लिए आवेदन कर रहे है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) उप धारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमति लेना चाहते है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रभावित खातेदारान को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत होने के लिए जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण न्याय आपके द्वार, 2018 : कोर्ट कैम्प–सिंगरावट कलाँ में पेश हुआ। प्रकरण के सम्बन्ध में मजमें आम में जानकारी ली गयी। प्रकरण में तहसीलदार डीडवाना से जाँच व तथ्यात्मक रिपॉर्ट तलब की गयी। तहसीलदार डीडवाना ने राजस्व कोर्ट कैम्प दिनाँक 09.06.2018 में रिपोर्ट पेश की।

तहसीलदार डीडवाना ने अपनी रिपोर्ट दिनाँक 09.06.2018 में प्रकरण में मौके का नजरी नक्शा अनुसार नया रास्ता प्रस्तावित किया है। उक्त रिपोर्ट के मुताबिक– शरहद सिंगरावट कलाँ के खसरा नम्बर 186 में आने–जाने हेतु, खसरा नम्बर 184 में से होकर लाल स्याही से मार्क ए बी सी डी भूमि को रास्ते की भूमि प्रस्तावित किया है जिसमें कि रकबा 0.11 बीघा भूमि को प्रस्तावित किया है।

शरहद सिंगरावट कलाँ के खसरा नम्बर 186 रकबा 12.08 बीघा में आवागमन हेतु नया रास्ता उपलब्ध कराए जाने की प्रार्थीगण मांग कर रहे हैं। काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) उपधारा (1) में संशोधन होने के बाद एक काश्तकार को उसकी भूमियों में आने–जाने के लिए निकटतम रास्ता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। तहसीलदार डीडवाना की दिनाँक 09.06.2018 की रिपॉर्ट व उपलब्ध अभिलेख के अनुसार आवेदकगण की भूमि में आने–जाने का रास्ता उपलब्ध नहीं है। कृषि भूमि में आवागमन के लिए प्रार्थीगण को रास्ता की नितान्त आवश्यकता है। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट के साथ पेश हुई

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या–13/2016
दायर दिनाँक 16.12.2016 निर्णय दिनाँक 09.06.2018
मोहनराम, वगैरा बनाम् भींवाराम, वगैरा।

नजरी नक्शा रिपोर्ट मुताबिक लाल स्याही से मार्क ए बी सी डी भूमि को नजदीकी रास्ते के लिए प्रस्तावित किया है। तहसीलदार डीडवाना की दिनाँक 09.06.2018 की रिपॉर्ट पर न्यायालय सहमत है तथा रिपॉर्ट मुताबिक व प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट दिनाँक 09.06.2018 के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 186 वाकै शरहद सिंगरावट कलाँ में आवागमन हेतु, तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट दिनाँक 09.06.2018 के अनुसार, मौका रिपोर्ट मुताबिक, नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शित मार्क ए बी सी डी की भूमि रकबा 0.11 बीघा, को रास्ता की भूमि घोषित की जाती है।

तहसीलदार डीडवाना राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करें। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट, निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

रास्ता में गयी भूमि की कीमत का, वर्तमान डी0एल0सी0 दर से नियमानुसार आंकलन कर, प्रभावित खातेदारान् को भूगतान की कार्यवाही करावें।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–सिंगरावट कलाँ

निर्णय आज दिनाँक **09.06.2018** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–सिंगरावट कलाँ

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः—13—2016 / रीडर / 2018 / दिनाँक

प्रेषितिः—

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः —निर्णय की पालना करने बाबत्।

प्रार्थना—पत्र

अन्तर्गत धारा 251 ए(1) R.T. Act.

आवेदकगण		अनावेदकगण
1. मोहनराम पुत्र पूर्णाराम, उम्र—35साल, जाति—जाट, निवासी—सिंगरावट कलाँ, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, वगैरा।	बनाम्	1. भींवाराम पुत्र रामरख, उम्र—75साल, जाति—मेघवाल, निवासी—सिंगरावट कलाँ, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प—सिंगरावट कलाँ

Scanned by CamScanner